GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
DEPARTMENT OF JUSTICE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.*80
ANSWERED ON 09/02/2023

STATUS OF PENDENCY OF CASES IN HIGH COURTS AND SUPREME COURT

80. SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:-

(a) the details of pendency of cases in the Supreme Court, as on 1st February, 2023;

(b) the details of pendency of cases in the High Court of States across the country, as on 1st February, 2023; and

(c) the details of the steps/plan/measures that are being taken by Government to reduce/minimize the pendency of cases in the Supreme Court as well as High Courts of States across the country?

ANSWER
MINISTER OF LAW AND JUSTICE
(SHRI KIREN RIJIJU)

(a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PART (A) TO (C) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 80 FOR REPLY ON 09.02.2023 REGARDING 'STATUS OF PENDENCY OF CASES IN HIGH COURTS AND SUPREME COURT' ASKED BY SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR '.

(a): As per the information provided by the Supreme Court of India on its official website, there are 69,511 cases pending in the Supreme Court as on 1st February, 2023.

(b): There are 59,87,477 cases pending in the High Courts across the country as per the information available on National Judicial Data Grid(NJDG) on 1st February, 2023. The detailed statement on High Court-wise pendency of cases as on 1st February, 2023 is placed at ANNEXURE.

(c): The disposal of pending cases in the Supreme Court and High Courts lies exclusively within the domain of the judiciary. The Central Government has no direct role in the matter.

However, the Government has taken several initiatives to provide suitable environment for expeditious disposal of cases by the judiciary. Central Government started the National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms in August, 2011 with the twin objectives of increasing access by reducing delays and arrears in the system and enhancing accountability through structural changes and by setting performance standards and capacities. The Mission has been pursuing a coordinated approach for phased liquidation of arrears and pendency in judicial administration, which, *inter-alia,* involves better infrastructure for courts, including computerization, an increase in strength of subordinate judiciary, policy and legislative measures in the areas prone to excessive litigation, re-engineering of court procedure for quick disposal of cases and emphasis on human resource development.

The major steps taken under various initiatives of the Department of Justice to assist in reducing/minimizing the pendency of cases in the courts and their outcomes are as follows:

i. **<u>Improving infrastructure for Judicial Officers of District and Subordinate Courts</u>:** As on date, Rs. 9490.45 crores have been released since the inception of the Centrally Sponsored Scheme (CSS) for Development of Infrastructure Facilities for the Judiciary in 1993-94. The number of court halls has increased from 15,818 as on 30.06.2014 to 21,245 as on 30.01.2023, and number of residential units has increased from 10,211 as on 30.06.2014 to 18,726 as on 30.01.2023, under this scheme. In addition, 2,780 court halls and 1652 residential units are under construction (as per NyayaVikas Portal). The Centrally Sponsored Scheme for the Development of Infrastructure Facilities for Judiciary has been extended till 2025-26 at a total cost of Rs. 9,000 crores, out of which the central share will be Rs. 5,307 crores. Besides, the construction of court halls and residential units, it would also cover the construction of lawyer's halls, toilet complexes, and digital computer rooms.

ii. **<u>Leveraging Information and Communication Technology (ICT) for improved justice delivery</u>:** The Government has been implementing the e-Courts Mission Mode Project throughout the country for information and communication technology enablement of district and subordinate courts. The number of computerised district & subordinate courts has increased to 18,735 so far. WAN connectivity has been provided to 99.4% of court complexes. New and user-friendly version of Case Information Software has been developed and deployed at all the computerized district and subordinate courts. All stakeholders, including judicial officers can access information relating to judicial proceedings/decisions of computerized district & subordinate courts and high courts on the National Judicial Data Grid (NJDG). As on 02.02.2023, litigants can access the case status of over 22.09crore cases and 20.43crore orders/judgments pertaining to these courts. eCourts services such as details of case registration, cause list, case status, daily orders & final judgments are available to litigants and advocates through the eCourts web portal, Judicial Service Centers (JSC) in all computerized courts, the

eCourtsMobile App, email service, and SMS push, and pull services. A video conferencing facility has been enabled between 3,240 court complexes and 1,272 corresponding jails. With a view to handling the COVID- 19 challenges better and making the transition to virtual hearings smoother, 619 e-SewaKendras have been set up at court complexes to facilitate lawyers and litigants needing assistance ranging from case status, getting judgments/orders, court/case-related information, and efiling facilities. Rs. 5.01 crore has been allocated for providing equipment in video conferencing cabins in various court complexes to facilitate virtual hearings. Rs. 12.12 crore has been allocated for 1,732 help desk counters for efiling in various court complexes.

21 virtual courts have been set up in 17 States/UTs viz. Delhi (2), Haryana, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala (2), Maharashtra (2), Assam, Chhattisgarh, Jammu & Kashmir (2), Uttar Pradesh, Odisha, Meghalaya, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Tripura, West Bengal, and Rajasthan to try traffic offences. As on 02.01.2023, these courts have handled more than 2.40 crore cases and realized more than Rs. 347.86 crore in fines.

Video conferencing emerged as the mainstay of the courts during the Covid lockdown period as physical hearings and normal court proceedings in the congregational mode were not possible. Since Covid lockdown began, the district courts heard 1,82,20,040 cases while the high courts heard 77,01,697 cases (total 2.59crore) via video conferencing till 30.12.2022. The Supreme Court had 3,79,954 hearings since the lockdown period upto 24.12.2022.

iii. **Filling up of vacant positions in Supreme Court, High Courts and District and Subordinate Courts:** From 01.05.2014 to 06.02.2023, 52 Judges were appointed in Supreme Court. 870 new judges were appointed and 626 additional judges were made permanent in the high courts. Sanctioned strength of Judges of High Courts

has been increased from 906 in May, 2014 to 1108 currently. sanctioned and working strength of judicial officers in district and subordinate courts has increased as follow:

As on	Sanctioned Strength	Working Strength
31.12.2013	19,518	15,115
06.02.2023	25,135	19,376

However, filling up of vacancies in subordinate judiciary falls within the domain of the State Governments and high courts concerned.

iv. **<u>Reduction in Pendency through / follow up by Arrears Committees</u>:** In pursuance of a Resolution passed in Chief Justices' Conference held in April, 2015, Arrears Committees have been set up in all 25 High Courts to clear cases pending for more than five years. Arrears Committees have been set up under District courts as well. Arrears Committee has been constituted in the Supreme Court to formulate steps to reduce pendency of cases in high courts and district courts. In the past, Minister of Law & Justice has taken up the matter with the Chief Justices of High Courts and the Chief Ministers of states drawing their attention to the cases pending for more than five years and to take up pendency reduction campaign. The Department of Justice has developed an online portal for reporting by all High Courts on the compliance of Arrears Eradication Scheme guidelines of the Malimath Committee Report.

v. **<u>Initiatives to Fast Track Special Type of Cases</u>:** The Fourteenth Finance Commission endorsed the proposal of the Government to strengthen the judicial system in states which included, inter-alia, establishing Fast Track Courts for cases of heinous crimes; cases involving senior citizens, women, children etc., and urged the State Governments to use the additional fiscal space provided in the form of enhanced tax devolution form 32% to 42% to meet such requirements. As on 31.12.2022, 848 Fast Track Courts are functional for heinous crimes, crimes against

women, and children etc. To fast track criminal cases involving elected MPs / MLAs, ten (10) Special Courts are functional in nine (9) States/UTs (1 each in Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh, West Bengal, and 2 in NCT of Delhi). Further, the central government has approved a scheme for setting up 1023 Fast Track Special Courts (FTSCs) across the country for the expeditious disposal of pending cases of Rape under IPC and crimes under POCSO Act. As on date, 28 States/UTs have joined the scheme. Rs.140 crore was released in the financial year 2019-20, Rs. 160 crore has been released during the financial year 2020-21 and Rs. 134.557 crore has been released during the financial year 2021-22 for the scheme Rs. 186.93 crore has been released during currant FY upto December, 2022. 768 FTSC are functional including 418 exclusive POCSO Courts, which disposed more than 1,37,000 cases as on 31.12.2022.

vi. In addition, to reduce pendency and unclogging of the courts, the Government has recently amended various laws like the Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2018, the Commercial Courts (Amendment) Act, 2018, the Specific Relief (Amendment) Act, 2018, the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019 and the Criminal Laws (Amendment) Act, 2018.

vii. **Emphasis on Alternate Dispute Resolution (ADR):** Commercial Courts Act, 2015 (as amended on 20th August, 2018) stipulates mandatory Pre-institution Mediation and Settlement (PIMS) of commercial disputes. Amendment to the Arbitration and Conciliation Act, 1996 has been made by the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act 2015 for expediting the speedy resolution of disputes by prescribing timelines.

viii. LokAdalat is an important Alternative Disputes Resolution Mechanism available to common people. It is a forum where the disputes/ cases pending in the court of law or at pre-litigation stage are settled/ compromised amicably. Under the Legal

Services Authorities (LSA) Act, 1987, an award made by a LokAdalat is deemed to be a decree of a civil court and is final and binding on all parties and no appeal lies against thereto before any court. In order to reduce the pendency of cases in courts and also to settle the disputes at pre-litigation stage, LokAdalats are organized by Legal Services Institutions at such intervals as it deems fit. LokAdalat is not a permanent establishment. However, as per Section 19 of the LSA Act, 1987, LokAdalats are organized by Legal Services Institutions as per requirement. National LokAdalats are organized simultaneously in all Taluks, Districts and High Courts on a pre-fixed date.

The details of the case disposed off in LokAdalats during the last two years are as under:-

Years	Pre-litigation Cases	Pending Cases	Grand Total
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
Total	3,82,21,509	1,64,92,538	5,47,14,047

ix. The Government launched the Tele-Law programme in 2017, which provided an effective and reliable e-interface platform connecting the needy and disadvantaged sections seeking legal advice and consultation with panel lawyers via video conferencing, telephone and chat facilities available at the Common Service Centres (CSCs) situated in Gram Panchayat and through Tele-Law mobile App.

Category	Total Advice Enabled	%
SC	10,00,641	31.62 %
ST	5,62,169	17.77 %
OBC	9,26,006	29.26 %
Women	10,59,373	33.48 %
General	6,75,574	21.35 %
As on 31st January, 2023	**31,64,390**	

x. Efforts have been made to institutionalize pro bono culture and pro bono lawyering the country. A technological framework has been put in place where advocates volunteering to give their time and services for pro bono work can register as Pro Bono Advocates on NyayaBandhu (Android &iOS and Apps). NyayaBandhu Services also available on UMANG Platform. Pro Bono Panel of advocates have been initiated in 21 High Courts at the State level. Pro Bono Clubs have been started in 69 select Laws Schools to instill Pro Bono culture in budding lawyers.

*****

Annexure-I

Pendency of Cases in various High Courts as on 1st February, 2023

Sr No.	High Court	Both
1	Allahabad High Court	1030185
2	High Court Of Rajasthan	640267
3	Bombay High Court	620586
4	Madras High Court	550926
5	High Court of Punjab and Haryana	445056
6	High Court of Madhya Pradesh	431727
7	High Court of Karnataka	304556
8	High Court for State of Telangana	253358
9	High Court of Andhra Pradesh	241465
10	Patna High Court	213158
11	Calcutta High Court	206720
12	High Court of Kerala	195349
13	High Court of Gujarat	161036
14	Orissa High Court	160451
15	High Court of Delhi	106078
16	High Court Of Chhattisgarh	91683
17	High Court of Himachal Pradesh	91189
18	High Court of Jharkhand	86881
19	Gauhati High Court	58501
20	High Court of Uttarakhand	45554
21	High Court of Jammu and Kashmir	45052
22	High Court of Manipur	4884
23	High Court of Tripura	1469
24	High Court of Meghalaya	1175
25	High Court of Sikkim	171
Total		**5987477**

Source: - National Judicial Data Grid (NJDG)

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *80
जिसका उत्तर गुरुवार, 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की स्थिति

***80 श्री कनकमेदला रवींद्र कुमारः**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 फरवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है ;
(ख) 1 फरवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार, देश भर के उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है ; और
(ग) सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय और देश भर के उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों/बनाई जा रही योजनाओं/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रिजिजु)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

****

श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार द्वारा पुंछे गए "उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की स्थिति" से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *80 जिसका उत्तर 09.02.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

(क) : अपनी शासकीय वेबसाइट पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 1 फरवरी, 2023 तक उच्चतम न्यायालय में 69,511 मामलें लंबित हैं ।

(ख) : 1 फरवरी, 2023 तक राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार संपूर्ण देश के उच्च न्यायालयों में 59,87,477 मामलें लंबित हैं । 1 फरवरी, 2023 तक लंबित मामलों के उच्च न्यायालय वार विवरण के ब्यौरे **उपाबंध** पर हैं ।

(ग) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान अनन्य रूप से न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में है । केन्द्रीय सरकार की इन मामलों में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है ।

यद्यपि, केन्द्रीय सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए समुचित वातावरण का उपबंध करने के लिए विभिन्न पहले की हैं । राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी जिसमें प्रणाली में विलंबों और बकाया मामलों की संख्या को कम करके तथा संरचनात्मक परिर्वनों के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ाकर तथा निष्पादन मानकों और क्षमताओं को तय करके पहुंच को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य हैं । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों तथा लंबित मामलों की संख्या के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्याधीक मुकदमा संभावित क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुन:इंजीनियरी तथा मानव संसाधन विकास पर बल सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है ।

न्यायालयों में मामलों की लंबितता को कम करने/न्यूनतम करने में सहायता के लिए न्याय विभाग की विभिन्न पहलों के अधीन महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और उनके निष्कर्ष निम्नानुसार है:

i. <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-</u> 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 9490.45 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से तारीख 30.01.2023 तक बढ़कर 21,245 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्या 10,211 से बढ़कर तारीख 30.01.2023 तक 18,726 हो चुकी है । इसके अतिरिक्त 2,780 न्यायालय हाल और 1,652 आवासी इकाईयां (न्याय विकास पोर्टल के अनुसार) निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को 9,000 करोड़ रु.की कुल लागत पर 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें से केंद्रीय हिस्सा 5,307 करोड़ रु. होगा । न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण के अतिरिक्त, इसमें वकील हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर रूम का निर्माण भी सम्मिलित होगा।

ii. <u>सुधार की गई न्याय के परिदान के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन</u> :- सरकार ने जिला औऱ अधीनस्थ न्यायालयों को परिचालन योग्य बनाने के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के लिए संपूर्ण देश में ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना को क्रियान्वित किया है। अब तक कम्प्यूटरीकृत जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.4% न्यायालय परिसरों को वैन की संयोजिता प्रदान की गई है। मामला सूचना सॉफ्टवेयर के नए और प्रयोक्ता-अनुकूलन पार्ट को विकसित किया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में

नियोजित किया गया है । सभी पणधारी जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी है, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) कंम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधी जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं । 02.02.2023 तक, वादकारी इन न्यायालयों से संबंधित 20.09 करोड़ से अधिक मामलों की प्रास्थिति और 20.43 करोड़ आदेश/निर्णय तक पहुँच बना सकते हैं। ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे वादकारीयों और अधिवक्ताओं के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश एण्ड पुल सर्विस में ई न्यायालय पोर्टल ,न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी) के माध्यम से ई-न्यायालय सेवाऐं, जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे उपलब्ध हैं । वीडिओ कॉन्फ्रेसिंग सुविधा के माध्यम से 3240 न्यायालय परिसर तथा 1272 तत्स्थानी कारावासों को समर्थ बनाया गया है । कोविड- 19 चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालने और वर्चुअल सुनवाई को सुचारू बनाने के उद्देश्य से, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, जानकारी और ई फाइलिंग प्रसुविधा से संबंधित न्यायालय/मामले प्राप्त करने से सहायता की आवश्यकता के लिए वकीलों और वादकारियों को न्यायालय परिसरों में 619 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है ।वर्चुअल सुनवाई को सुकर बनाने के लिए विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन में उपस्कर प्रदान करने के लिए 5.01रु. करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विभिन्न न्यायालय परिसरों में ई फाइलिंग के लिए 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों को 12.12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल और राजस्थान में यातायात अपराधों को कम करने की कोशिश करने के लिए 21 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 02.01.2023 तक, इन न्यायालयों ने 2.40 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 347.86 करोड़ रुपए के जुर्माना से अधिक की वसूली की है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरा क्योंकि भौतिक सुनवाई और सामूहिक मोड में सामान्य न्यायालय की कार्यवाही संभव नहीं थी। जब से कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ, जिला न्यायालयों ने 1,82,20,040 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 30.12.2022 तक 77,01,697 मामलों (कुल 2.59 करोड़) की सुनवाई की। 24.12.2022 तक लॉकडाउन अवधि से उच्चतम न्यायालय में 3,79,954 सुनवाई हुई।

iii. <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना</u> :- 01.05.2014 से 06.02.2023 तक उच्चतम न्यायालय में 52 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी । उच्च न्यायालयों में 870 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 626 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1108 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
06.02.2023	25,135	19,376

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है ।

iv. <u>बकाया समिति द्वारा अपनाए गए/उसके माध्यम से लंबित मामलों में कमी :</u> अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित

मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है। पूर्व में, विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के साथ पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों पर ध्यान आकर्षित करने और लंबित मामलों को कम करने का अभियान चलाने के लिए मामला उठाया है। विभाग ने मलीमथ समिति रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है।

v. **<u>विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल :-</u>** चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना करने से है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से संबंधित मामले सम्मिलित हैं तथा राज्य सरकारों को ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बढे हुए कर न्यागमन 32% से 42% वृद्धि करने के प्ररूप में उपबंधं करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया है। 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 848 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में एक प्रत्येक और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में दो) स्थापित किए गए हैं। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है । अब तक 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस स्कीम में जोडा गया है । स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 140 करोड रुपए जारी किए गए थे तथा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान 160 करोड रुपए जारी किए गए है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 134.557 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं तथा अक्टूबर, 2022 तक वित्तीय वर्ष के दौरान 186.93 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । 778 एफटीएससी वर्तमान में 418 अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित कार्य कर रहे हैं, जिसमें 31.12.2022 तक 1,37,000 मामलों का निपटारा किया गया।

vi. इसके अतिरिक्त, लंबितता कम करने और न्यायालयों को मुक्त करने के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियां जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को संशोधित किया है ।

vii. **<u>अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर :-</u>** वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (तारीख 20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए अनुबद्ध किया गया है । विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

viii. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण अनुकल्पि विवाद समाधान तंत्र है । यह ऐसा मंच है जहां न्यायालय में या मुकदमा पूर्व प्रक्रम्य पर लंबित विवाद/मामलें निपटाए जाते हैं/उन पर आपस में समझौता किया जाता हैं । विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन लोक अदालत द्वारा किया गया पंचाट सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में समझा जाता है और सभी पक्षकारों पर अंतिम और आबद्धकर होता है तथा किसी न्यायालय के समक्ष उसके विरूद्ध कोई अपील नहीं होती है । न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए और मुकदमापूर्व प्रक्रम्य पर

विवादों को निपटाने के लिए भी, विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा ऐसे अंतरालों पर जो वह ठीक समझे, लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं । लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है । तथापि, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अनुसार, लोक अदालतें आवश्यकतानुसार विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाती हैं । राष्ट्रीय लोक अदालतें पूर्व नियत तारीख को सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में साथ-साथ आयोजित की जाती हैं ।

पिछले दो वर्षों के दौरान लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों के ब्यौरे निम्नप्रकार हैं:

वर्ष	पूर्व-मुकदमेबाजी मामले	लंबित मामले	कुल संख्या
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
कुल	3,82,21,509	1,64,92,538	5,47,14,047

ix. सरकार ने वर्ष 2017 में टेली-विधि कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसमें विधिक सलाह प्राप्त करने वाले जरूरतमंद और अलाभान्वित वर्गों को जोड़ने वाले प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफार्म तथा विडियों कान्फ्रेसिंग तथा टेलिफोन के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ परामर्श करने और ग्रामपंचायत में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर और टेली-विधि मोबाइल एप के माध्यम से उपलब्ध चैट सुविधाओं का उपबंध किया गया हैं ।

प्रवर्ग	जारी की गई कुल सलाह	%
अनुसूचित जाति	10,00,641	31.62%
अनुसूचित जनजाति	5,62,169	17.77%
अन्य पिछडा वर्ग	9,26,006	29.26%
महिला	10,59,373	33.48%
सामान्य	6,75,574	21.35%
31 जनवरी, 2023 तक	31,64,390	

x. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थिकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं । प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा को कार्यान्वित किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अधिवक्ता अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वहां वे न्याय बंधु (एन्ड्राइड एन्ड आईओएस और एप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं । न्याय बंधु सेवाएं भी यूएमएएनजी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं । अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है उदयीमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को उनके मन बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब 69 चयनित विधि विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं ।

******

उपाबंध-1

1 फरवरी, 2023 तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

क्र. सं.	**उच्च न्यायालय**	**दोनों**
1	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	1030185
2	राजस्थान उच्च न्यायालय	640267
3	बॉम्बे उच्च न्यायालय	620586
4	मद्रास उच्च न्यायालय	550926
5	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	445056
6	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	431727
7	कर्नाटक उच्च न्यायालय	304556
8	तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय	253358
9	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	241465
10	पटना उच्च न्यायालय	213158
11	कलकत्ता उच्च न्यायालय	206720
12	केरल उच्च न्यायालय	195349
13	गुजरात उच्च न्यायालय	161036
14	ओड़िशा उच्च न्यायालय	160451
15	दिल्ली उच्च न्यायालय	106078
16	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	91683
17	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	91189
18	झारखंड उच्च न्यायालय	86881
19	गुवाहटी उच्च न्यायालय	58501
20	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	45554
21	जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय	45052
22	मणिपुर उच्च न्यायालय	4884
23	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	1469
24	मेघालय उच्च न्यायालय	1175
25	सिक्किम उच्च न्यायालय	171
कुल		**5987477**

स्रोत: - राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

****

श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया : सभापति महोदय, मैं गुजरात से आता हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि फरवरी, 2023 की स्थिति में गुजरात के उच्च न्यायालयों में विलंबित मामलों का ब्यौरा दें।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, तो मैं गुजरात के बारे में बताना चाहूंगा कि गुजरात के अधीनस्थ न्यायालयों में 14 लाख, 47 हज़ार, 459 मुकदमे लंबित हैं। जहां तक गुजरात में आपके जिले के मामले में ....

श्री सभापति : डा. अमी याज्ञिक।

DR. AMEE YAJNIK: Sir, I would like to ask the hon. Law Minister that there are about 63 lakh cases in India which are pending due to non-availability of legal counsel to them. I would like to ask the hon. Law Minister, does the Government intend to expand the panel of lawyers appointed by the National Legal Services Authority to provide free legal aid to wider range of these eligible litigants who do not have representation by a lawyer?

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल : सभापति महोदय, विधिक सलाह के लिए नालसा, सालसा, डलसा और ताल्लुक स्तर पर जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग लोग हैं, एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, उनके लिए हम लोग विधिक सलाह दे रहे हैं, प्रो बोनो स्कीम है, न्याय बंधु की स्कीम है और टेली लॉ की स्कीम है।

DR. AMEE YAJNIK: Sir, it was not audible. My question is: Will NALSA appoint more lawyers for these kinds of people?

MR. CHAIRMAN: Sir, it was not audible, but response is there.

DR. AMEE YAJNIK: I think the answer was not correct.

MR. CHAIRMAN: You can get in touch with the hon. Minister.

DR. AMEE YAJNIK: Sir, the intention has to come from the hon. Law Minister.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI KIREN RIJIJU) : Sir, there have been panel lawyers and the para legal volunteers; they are being expanded, and we have already stated that from last year, we are even giving free legal aids for providing pro

bono services. The fees is provided by the Government. This is a great effort to ensure that poor people get justice at a very, very cheap rate or free, of course, if possible.

MR. CHAIRMAN: It required a high decibel response. Now, Dr. Santanu Sen.

DR. SANTANU SEN: Sir, as a law abiding citizen, I am really worried because there is a prevailing public perception because of certain events and certain statements that our Government is trying to have a direct control over the judiciary. My question before my learned Minister is: What step is being taken by your Government to clear this confusion amongst the common people at large?

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल : सभापति महोदय, जैसा आपने ही अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि डेमोक्रेसी के तीन पिलर हैं - कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों के अपने अधिकार हैं, तीनों के कर्तव्य हैं और कोई भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करता है, इसलिए हम सभी लोग अपनी सीमाओं में काम करते हैं। कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य यह है कि अंतिम व्यक्ति को न्याय मिल सके।

श्री सभापति : क्वेश्चन नम्बर 81, श्री जावेद अली खान।